न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—06 / 12 (2012 / 00013) वाद पत्र

उनवान

1—शोभालाल आत्मज जवाहरमल जाट निवासी आम्बा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना — वादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 16.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी का ग्राम आम्बा का खेडा तहसील—रायुपर की साबिक आराजी नम्बर 357मी. में जिसके हाल आराजी नम्बर 686 रकबा 0.39 पर सन् 1950 से वादी का शान्तिपूर्वक आधिपत्य चला आ रहा है और वादी ही उन नम्बर की कृषि भूमि पर लगातार काश्त कर काश्त लाभ लेता आ रहा है समय—समय पर राजस्व एजेन्सी द्वारा वादी के नाम का अंकन खसरा परिवर्तन में कब्जे व काश्त के आधार पर किया गया है। जमाबन्दी साबिक व हाल प्रमाणित प्रति तथा खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां वादपत्र के साथ प्रस्तुत है यह कि वादी के पास नोशनल शेयर अर्थात 15 पन्द्रह बीघा से भी कम जमीन और वादी के परिवार में कई बालिग सदस्य मौजुद है । इसके अलावा भी वर्णित आराजी के नजदीक ही वादी की अन्य आराजियात भी अवस्थित है। कब्जे के आधार पर आप प्रतिवादी तहसीलदार साहब रायपुर के कार्यालय से वादी के पक्ष में नियमन की भी सिफारिश हुई तथा श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दिनांक 25.06.2011 प्रवास पर भी आप श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा द्वारा वाद वर्णित आराजी को वादी नाम पर नियमन करने के भी निर्देश फरमाये गये थे। जिसकी पत्रावली स. 170 / 2011 संघारित की हुई है किन्तु आज तक भी वादी के नाम पर उक्त आराजी का नियमन नहीं हुआ है। जबकि वाद वर्णित आराजी को अपने नाम पर नियमन से खातेदार काश्तकार के रूप अंकन कराने का पात्र है। वादी स्वयं ने भी प्रतिवादीगण को काफी बार निवेदन किया कि वाद वादी आराजी का नियमन उसके नाम पर करा दें, किन्तु वादी के पक्ष में नियमन का कार्यवाही नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 2 दो द्वारा भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 इकरानवें के तहत भी कार्यवाही शुरू कर दी है। हाल आराजी नम्बर 686 रकबा 0.39 हैक्टेयर को अपने नाम पर नियमन से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु पात्र हो गया है। किन्तु प्रतिवादीगण वादी के निवेदन पर किसी प्रकार की तव्वजो नहीं कर रहे हैं और वादी के विरुद्ध धारा 91 इकरानवे भू—राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने पर आमादा हो रहे है। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणात्मक डिक्री इस आशय की सादर फरमाई जावे कि वादवर्णित आराजी संख्या 686 का वादी पुराने कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार की घोषणा कराने का अधिकारी है साथ ही बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजियात से धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वादी को बेदखल करने की कार्यवाही नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 19.01.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी द्वारा जबाव

प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब में अंकन किया कि वादी द्वारा वाद में वर्णित अस्वीकार है और अतिरिक्त कथन के रूप में कहा ह कि ग्राम आम्बाखेड़ा के आराजी संख्या 686 बिलानाम सरकार दर्ज है वर्तमान में रिपोर्ट पटवारी अनुसार आराजी संख्या 0.29 है0 पर वादी का कब्जा है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में वादी के बयान कराये गये एवं खसरा परिवर्तनशील पी–14 सवंत 2050 से 2053 का पेश किया। वादी अधिवक्ता द्वारा अपने बयान मे कहा कि पत्रावली में कब्जा 2050 से 2053 का बताया है केवल 4 वर्ष का कब्जा होना व बेदखल किया जाना साबित होता है। मौके पर मेरा कब्जा है नियमन की पात्रता रखता हुँ। वाद के समर्थन में आरबीजे (15) 2008 पेज 42, आरबीजे (16) 2009 पेज 396, आरआरडी 1983 पेज 53 की नजीरे पेश की।

पैराकार सरकार की ओर से वाद के विरोध में पटवारी हल्का के बयान कराये गये पटवारी हल्का द्वारा अपने बयान में कहा कि वादवर्णित आराजी पर वर्तमान में वादी का कब्जा नही है सरकारी भूमि पर अगर किसी के द्वारा कब्जा किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट पी–14 तैयार किया जाता है वादी का कब्जा वर्तमान में नही है। ग्राम आम्बाखेड़ा में वर्तमान में आराजी संख्या 183, 184 पर ही अतिक्रमण पाया गया जिसका रिपोर्ट पेश की गई अन्य कोई सरकारी भूमि पर कब्जा नही है। आराजी संख्या 183 व 184 से भी कब्जा हटवा दिया गया है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत रेकार्ड प्रर्दश पी–14 संवत 2051, प्रदर्श 2 पी–14 सवंत 2052, प्रदर्श 3 पी–14 सवंत 2053, प्रदर्श 4 पी–14 सवंत 2050, का पेश किया प्रदर्श 5 से 14 लगान की रसीद के रूप में 1993, 1994, 2001, 2002, 2004, 2007, 2009 पेश की गई जो नियमित कब्जा नही है राज्य सरकार के द्वारा भी आदेश जारी किया गया है कि नियमित रूप से अगर किसी का अतिक्रमण हो तो भूमि से सम्बधित दस्तावेजो के साथ नियमन का प्रकरण तैयार कर तहसीलदार के माध्यम से भू आंवटन कमेटी के समक्ष पेश करे ताकि उस पर कमेटी विचार करके निर्णय कर सकती है। प्रकरण में वादी का कब्जा पूर्व में रहा हो किन्तु पटवारी हल्का के बयान के आधार पर वर्तमान में कब्जा नही है और कब्जे के अभाव में वादी खातेदारी अधिकार की घोषणा की पात्रता नही रखता है। वादी अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये वो कब्जे के अभाव में इस प्रकरण पर पूर्ण चस्पा नही होते है। इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय से राजकीय भूमि को एडवर्स पजेसन के आधार पर खातेदारी के रूप में घोषित नही की जा सकती है का निर्णय पारित हुआ है। वादवर्णित भूमि पर वादी अगर वर्ष 2000 से नियमित काबिज हो तो आवश्यक रेकार्ड के साथ तहसीलदार रायपुर से नियमन का रेकार्ड तैयार करा उपखण्ड अधिकारी को भिजवाने में स्वतंत्र है ताकि उपखण्ड अधिकारी आंवटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सके। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत किया गया प्रमाणित ... से अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे ... लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

16.02.2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—06/12 (2012/00013) वाद पत्र

उनवान

1—शोभालाल आत्मज जवाहरमल जाट निवासी आम्बाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत किया जो प्रमाणित नही होने से अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 16.02.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

16.2.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested